संख्या- 413/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मिर्जापुर, हाथरस, बरेली, गोण्डा, कुशीनगर, बलिया, मथुरा, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, कानपुर देहात, सीतापुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, महराजगंज।

राजस्व अनुभाग10- लखनऊः दिनांकः17-04-2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021-4-(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांडएवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 17,78,00,000/- **(रूपये सत्रह करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	मिर्जापुर	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	20.00
		आकाशीय-विद्युत	50.00

240.00

		आंधी-तूफान	20.00	
		सर्पदंश	50.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	100.00	
2	हाथरस	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	40.00	
		आकाशीय-विद्युत	10.00	
		आंधी-तूफान	10.00	
		लू-प्रकोप	10.00	
		सर्पदंश	30.00	130.00
		डूबकर होने वाली मृत्यु	20.00	
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	10.00	
3	बरेली	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	25.00	
		आकाशीय-विद्युत	10.00	
		आंधी-तूफान	25.00	
		सर्पदंश	25.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	30.00	140.00
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	25.00	
4	गोण्डा	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	10.00	
		आकाशीय-विद्युत	15.00	35.00
		आंधी-तूफान	10.00	
5	कुशीनगर	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	30.00	
		आकाशीय-विद्युत	25.00	
		आंधी-तूफान	30.00	175.00
		सर्पदंश	30.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	60.00	
6	बलिया	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	25.00	
		आकाशीय-विद्युत	25.00	
		आंधी-तूफान	25.00	175.00
		सर्पदंश	50.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	50.00	
7	मथुरा	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	60.00	
		आकाशीय-विद्युत	16.00	208.00
		आंधी-तूफान	20.00	

		सर्पदंश	32.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	80.00	
8	गोरखपुर	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	10.00	20.00
		आकाशीय-विद्युत	10.00	
9	आजमगढ़	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	10.00	
		आकाशीय-विद्युत	50.00	
		आंधी-तूफान	10.00	
		लू-प्रकोप	20.00	
		सर्पदंश	50.00	
		डूबकर होने वाली मृत्यु	50.00	220.00
		मानव वन्य जीव द्वन्द्व (जंगली जानवरों का हमला)	10.00	
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	20.00	
10	मऊ	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	100.00	
11	कानपुर देहात	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	50.00	100.00
		आकाशीय-विद्युत	50.00	
12	सीतापुर	आकाशीय-विद्युत	25.00	
		मानव वन्य जीव द्वन्द्व (जंगली जानवरों का हमला)	20.00	45.00
13	चित्रकूट	आकाशीय-विद्युत	50.00	60.00
		आंधी-तूफान	10.00	
14	प्रतापगढ़	आंधी-तूफान	20.00	
		सर्पदंश	50.00	90.00
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	20.00	
15	महराजगंज	मानव वन्य जीव द्वन्द्व (जंगली जानवरों का हमला)	20.00	
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	20.00	40.00
		योग	1778.00	
			(रू0 सत्रह करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)	

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत

स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवशयकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी वयय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 17,78,00,000/- (रू0 सत्रह करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-वययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 17-04-2025 10:21:49

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 413(1)/एक10-2025-, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-17/04/2025

प्रेषण संख्या:- 413
आवंटन आदेश संख्या:- 001-413
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20800000 20800000	20800000 20800000
2	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000000 14000000	14000000 14000000
3	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000000 24122900	24000000 24122900
4	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17500000 19500000	17500000 19500000
5	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 13062500	2000000 13062500
6	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22000000 22000000	22000000 22000000
7	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 37500000	4500000 37500000
8	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 15500000	3500000 15500000
9	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 15000000	9000000 15000000
10	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 22000000	10000000 22000000
11	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
12	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
13	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17500000 17500000	17500000 17500000
14	हाथरस-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13000000 13000000	13000000 13000000
15	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 26000000	6000000 26000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	177800000 273985400	177800000 273985400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ अठहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ उनतालीस लाख पंचासी हजार चार सौ

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी